मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़
(पीठासीन अधिकारी जमवारामगढ़)

पीठासीन अधिकारी :– जमवारामगढ़

1- बाबूलाल पुत्र गंगाराम जाति दरियाणी ब्राह्मण नि० डाकरावत तह० जमवारामगढ़ (जयपुर) बनाम 1- मूली देवी पुत्री लादूराम जाति दरियाणी ब्राह्मण नि० डाकरावत तह० जमवारामगढ़ (जयपुर) कुल (4 फरीक)

दावा बाबत :- 53(1)(a) R.T. Act

मुकदमा नम्बर :- 183/2019

निर्णय दिनांक :- 04/02/2020

वादी की ओर से श्री महेश शर्मा एड० की व प्रतिवादी की ओर से श्री राम अवतार शर्मा एड० की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 04/02/2020 को (विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि :- प्राप्त राजीनामे के अनुसार वाद में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से पारित की जाती है-

(1) बाबूलाल पुत्र गंगाराम जाति दरियाणी स्व० गंगाराम हिस्सा 1/8, भूरी पुत्री लादूराम हिस्सा 1/8 जाति दरियाणी ब्राह्मण सा० रहे के ख०नं० 12 रकबा 1.54 हे०, ख०नं० 106 रकबा 0.02 हे०, ख०नं० 192 रकबा 0.03 हे०, ख०नं० 136 रकबा 0.39, ख०नं० 138 रकबा 0.41 हे०, लगान 37.80 रुपये कायम किया जाता है

(2) बाबूलाल पुत्र गंगाराम, मूली देवी पत्नि स्व० गंगाराम 1/1/80, अंजली देवी पुत्री लादूराम हिस्सा 1/1/80 जाति दरियाणी ब्राह्मण सा० रहे के ख०नं० 107 रकबा 2.80 हे०, लगान 33.60 रुपये कायम किया जाता है

(3) शंकरलाल पुत्र गोविन्दराम (गोविन्द) जाति दरियाणी ब्राह्मण निवासी असरुण तह० सांगानेर जिला जयपुर को ख०नं० 121, रकबा 0.81 लगान 2.43 रुपये कायम किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 04/02/2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	2	00
स्टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील			महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बबत्हजराय हुक्मनामा			बबत्हजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2020.02.27 12:21:52 IST
Reason: SelfAttested